भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 732

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए मानदेय

732. श्री के. राधाकृष्णन:

श्री अमरा राम:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में पिछली बार संशोधन किस तिथि को किया गया था;

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय की वर्तमान दर सहित मानदेय के भुगतान के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके कार्यभार के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्यभार के अनुरूप मानदेय में संशोधन करने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक अतिरिक्त कामगार नियुक्त करने का विचार रखती है ताकि कार्यभार को बांटा जा सके और विद्यालय पूर्व शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2018 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के मानदेय में वृद्धि की है। वर्तमान में मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों में

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 4500/- रुपये प्रतिमाह; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3500/- रुपये प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 2250 रुपये प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्य-निष्पादन से जुड़ी 250/- रुपये प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500/- रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन कर्मियों को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन/मानदेय का भी भुगतान कर रहे हैं जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निरंतर बातचीत/वीडियो कॉन्फ्रेंस/परामर्श के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को गैर-योजना संबंधी कार्यों में शामिल न करने का बार-बार अनुरोध किया गया है ताकि उनके समय का उपयोग इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया जा सके।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न उपाय/पहलें की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) प्रचार: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं बशर्ते वे अन्य मानदंडों को पूरा करती हों।

(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं जिसमें **18** से **50** वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को **2.00** लाख रुपए (जीवन जोखिम किसी भी कारण से मृत्यु शामिल है) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत **18-59** वर्ष के आयु वर्ग में **2.00** लाख रुपए (दुर्घटना मृत्यु एवं स्थायी पूर्ण अपंगता)/**1.00** लाख रुपए (आंशिक किन्तु स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर शामिल है ।

(iii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाएं जो कोविड-19 संबंधित कार्यों में संलग्न रही हैं, उन्हें कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(iv) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है,

(v) सेवानिवृत्ति की तारीख: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे समुचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात् प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सेवा वार्षिक कवरेज का लाभ देने की घोषणा की गई है।

(ङ.) : सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे देश भर के इन लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्यभार को बांटने के लिए आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी ताकि ईसीसीई के घटक को सुदृढ़ किया जा सके।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पोषण ट्रैकर के माध्यम से कार्यभार को कम करने के लिए आईटी सिस्टम का लाभ उठाया गया है जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाले ग्यारह में से नौ भौतिक रजिस्टरों को डिजिटलीकृत और स्वचालित बना दिया है।

****